रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271537
CG-DL-E-02042026-271537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1650] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948
No. 1650] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

(आयकर)

का.आ. 1715(अ).—जबकि आय पर कर के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राज वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए, भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच हुए अभिसमय के अनुच्छेद 26क के लागू होने की रीति के रूप में कर संग्रहण में सहायता के लिए समझौता ज्ञापन, जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपबंध में प्रदर्शित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ज्ञापन कहा गया है), पर तारीख 30 जून, 2025 को टोक्यो में और तारीख 8 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि उक्त ज्ञापन का पैरा 21 यह उपबंध करता है कि उक्त ज्ञापन के उपबंध दो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए गए हस्ताक्षर की तारीखों की बाद वाली तारीख के पश्चात् किए गए कर संग्रहण के लिए किसी आवेदन के संबंध में लागू होंगे;

और जबकि उक्त ज्ञापन के प्रवृत होने की तारीख भारत में हस्ताक्षर की तारीख है, जो दो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए गए हस्ताक्षर की तारीखों की बाद वाली तारीख है, अर्थात् तारीख 8 जुलाई, 2025। उक्त ज्ञापन 8 जुलाई, 2025 के पश्चात् कर संग्रहण के लिए किसी आवेदन के संबंध में प्रभावी होगा;

अत: अब, केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि इसके साथ उपाबंध में यथाप्रदर्शित उक्त समझौता ज्ञापन के उपबंधो को भारत संघ के संबंध में प्रभावी किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 56/2026 फा.सं. 500/22/2022-एफटी&टीआर-V]

भास्कर गोस्वामी, संयुक्त सचिव